[illegible] 757
[illegible] 2
[illegible] 7-[illegible]
[illegible] 180

कार्यालय उप जिलाधिकारी भानपुर, जनपद बस्ती।

[illegible] T2022171140201813

धारा 80 उ०प्र० राजस्व संहिता
(घोषणा भाग [illegible]) [illegible] ग्राम [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] उमरा [illegible] बस्ती पूरब

तहसील भानपुर

जिला बस्ती।

फरीक [illegible]

तारीख फैसला 02-07-2022

[illegible] आदेश दिनांक 02-07-2022 की छाया प्रति संलग्न

CANCELLED

CANCELLED

2
7-00

[illegible] 2/7/22

आदेश फलक

न्यायालय उपजिलाधिकारी

मण्डल बस्ती,जनपद बस्ती,तहसील भानपुर

वाद संख्या -1813/2022

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या - T20221714030[illegible]

श्रेया फाउन्डेशन द्वारा मनीष कुमार राय बनाम सरकार

अंतर्गत धारा-80, अधिनियम - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

वादिनी श्रेया फाउन्डेशन द्वारा मनीष कुमार राय पुत्र प्रकाश चन्द्र राय ग्राम [illegible] तहसील व जिला [illegible] हाल मुकाम बालेडीहा तप्पा उमरा परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती द्वारा आराजी संख्या-22/0.420हे0 सम्पूर्ण रकबा स्थित मौजा बालेडीहा तप्पा उमरा को अकृषिक आबादी घोषित करने हेतु अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादी द्वारा वाद पत्र में कहा गया है कि ग्राम बालेडीहा तप्पा उमरा परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर की गाटा सं0-22/0.420हे0 सम्पूर्ण रकबा पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है तथा गाटा संख्या-22/0.420हे0 भूमि अकृषिक उपयोग में है सम्पूर्ण भूमि पर हास्पिटल व ट्रामा सेन्टर निर्माणाधीन है। गाटा संख्या-22/0.420हे0 भूमि अकृषिक उपयोग में है। सम्पूर्ण रकबा बतौर आबादी जिसमे कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन व बागवानी आदि का कार्य नही हो रहा है। सम्पूर्ण रकबा आबादी परिवर्तित हो चुका है। स्थल पर कृषि कार्य नही किया जाता है। न्यायहित में आराजी गाटा संख्या-22/0.420हे0 सम्पूर्ण रकबे को लगान से मुक्त कर अकृषिक भूमि घोषित किया जाय।

वादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में नकल खतौनी बाबत मौजा बालेडीहा फसली सन 1426-1431फ0 के खाता सं0-04 गाटा संख्या-22/0.420हे0 तथा मौके पर फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया।

तहसीलदार भानपुर से स्थलीय व अभिलेखीय जांच आख्या मंगायी गयी, जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार भानपुर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 29.06.2022 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम बालेडीहा, तप्पा उमरा के गाटा संख्या-22 रकबा 0.420हे0 भूमि में 0.100हे0 भूमि पर हास्पिटल व ट्रामा सेन्टर निर्माणाधीन है तथा शेष रकबा 0.320हे0 भूमि सहन के रूप में है जो अकृषिक भूमि है में स्थित गाटा संख्या-22/0.420हे0 भूमि अकृषिक उपयोग में है, जिसमें कुक्कुट, मत्स्य पालन व बागवानी आदि का कार्य नही हो रहा है। तहसीलदार भानपुर द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक एवं लगान मुक्त किये जाने हेतु अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार भानपुर की आख्या दिनांक 29.06.2022 एवं साक्ष्यो का परिशीलन किया गया है। ग्राम बालेडीहा, तप्पा उमरा, परगना बस्ती पूरब की खतौनी 1426 से 1431फ0 के खाता संख्या-4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या-22/0.420हे0 श्रेया फाउन्डेशन द्वारा मनीष कुमार राय के नाम संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज अभिलेख है तथा तहसीलदार की आख्या दिनांक 29.06.2022 से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर हास्पिटल एवं ट्रामासेन्टर निर्माणाधीन है तथा सम्पूर्ण भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। वादी द्वारा जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार भूमि के मूल्य का एक प्रतिशत धनराशि चालान संख्या-3302 द्वारा जमा किया जा चुका है। अतः वाद भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम बालेडीहा तप्पा उमरा परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती की खतौनी फसली वर्ष-1426-1431फ0 के खाता संख्या-04 के गाटा संख्या-22/0.420हे0 सम्पूर्ण भूमि पर अकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित करते हुए लगान मुताबिक धारा भू0-राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति उप निबंधक भानपुर को प्रेषित किया जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाय।

दिनांक 02 जुलाई, 2022

(गिरीश कुमार झा)
उप जिलाधिकारी,
भानपुर।

सत्य प्रतिलिपि

मा० अभिलेखागार
न्यायालय उप जिलाधिकारी
तहसील-भानपुर

प्रार्थना का दिनांक ......
दैयारी का दिनांक ......
नकल जारी का दिनांक